TR
03
14-15

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता ,बुण्डू(राँची)

RM वाद संख्या–BC–32/14–15

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

16.1.15

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता– बिहारी महतो, पिता–स्व0 लक्ष्मण महतो
ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड़, जिला–राँची। जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी

क्रेता का नाम एवं पता– जयराम महतो पिता–स्व0 कालीनाथ महतो
ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड , जिला– राँची। जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री गिरेशवर महतो

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–21.05.14 को क्रेता जयराम महतो पिता–स्व0 कालीनाथ महतो के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
लुगंटु	तमाड़	139	22	196	0.49ए0 मध्ये0.24 1/2ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी , तमाड पत्रांक–325(II) दिनांक–08/08/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि:–

(क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। खतियानी रैयत का नाम–इन्द्रराय महतो कौम कुरमी वैगरह दर्ज है। पंजी–2 के अनुसार रैयत का नाम–लक्ष्मण महतो वगैरह दर्ज है ।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 6.35 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को लड़की के विवाह हेतु वह 10,000(दस हजार रु0) प्रति डीसमील की दर से कुल 2,45,000(दो लाख पैंतालिस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति (कुरमी) के सदस्य हैं। एवं एक ही थाना क्षेत्र तमाड़ एवं एक ही जिले– राँची के निवासी है।

16.1.15

कृ०प०उ०

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी , तमाड़ ने छौटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता बिहारी महतो, पिता–स्व0 लक्ष्मण महतो ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी) को क्रेता जयराम महतो पिता–स्व0 कालीनाथ महतो ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड ,जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी) के हाथों प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–21.05.14 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने भी कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी , तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता बिहारी महतो, पिता–स्व0 लक्ष्मण महतो ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी) को क्रेता जयराम महतो पिता–स्व0 कालीनाथ महतो ग्राम–एदेलपिड़ी, पो0–लुंगटु, थाना–तमाड ,जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती बारी) के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है । आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
लुगंटु	तमाड़	139	22	196	0.49ए0 मध्ये0.24 1/2ए0

लेखापति एवं संशोधित

16.1.15

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

16.1.15

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

16/1/15